(122)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी / ~~/2017-18~~ निगरानी- 2695/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1. प्रीतम तनय लक्ष्मन सौंर आयु 50 वर्ष
2. दयाराम तनय छंदी सौंर आयु 52 वर्ष
3. मुल्ली तनय कुंजी वंशकार आयु 55 वर्ष
4. वीरवान तनय चन्नू वंशकार आयु 45 वर्ष
5. गुल्लन तनय लल्लू कुम्हार आयु 42 वर्ष
6. फुल्ली तनय लछू खंगार आयु 45 वर्ष
7. चन्नू तनय चतरा बुनकर आयु 60 वर्ष
8. डिल्ली तनय मनखुशी खंगार आयु 62 वर्ष
9. ग्यासा तनय बकशा वंशकार आयु 65 वर्ष
10. श्यामलाल तनय छंदू बुनकर आयु 50 वर्ष
11. गोरेलाल तनय छंदी बुनकर आयु 45 वर्ष
12. कल्लू तनय बसंते बुनकर आयु 80 वर्ष
13. टन्टाई तनय चतरा बुनकर आयु 65 वर्ष
14. जसरथ तनय परमा चमार आयु 70 वर्ष
15. भद्दू तनय नंदू बुनकर आयु 53 वर्ष समस्त
16. मनोहर [illegible] तनय [illegible] 45-50 [illegible]
17. [illegible] तनय [illegible] आयु 50-[illegible]

निवासी ग्राम बरेठी तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगराकारगण

बनाम

1. नत्थू तनय रतुआ गड़रिया निवासी ग्राम बंधा तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. किशोरी तनय भनतुआ ढीमर
3. विन्दावन तनय भनतुआ ढीमर
4. हरिराम तनय गगना ढीमर

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 2.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9.5.18 नियत। 2.5.18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

9/5/2018 प्रदीप श्रीवास्तव

6. जसुआ तनय दुरजी ढीमर
7. प्रकाश तनय प्यारेलाल ढीमर
8. रामबगस तनय बालकदास ढीमर
9. बुद्दू तनय चउदे ढीमर
10. बालकिशन तनय पुल्लू ढीमर
11. रतन तनय बुद्दू ढीमर सभी निवासी ग्राम बहादुरपुर तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
12. शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

....प्रति निगराकार / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक–678 / अ–19 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2007 नकल प्राप्ति दिनांक 17.04.2018 से परिवेदित होकर

महोदय जी,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– निगराकार के पक्ष में बंटन अधिकारी के प्रकरण क्रमांक–33 / अ–19(1) / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2002 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा शासन के नियमानुसार बंटित की गई थी, जो तहसीलदार मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 03.08.2002 को आवंटित करने का आदेश निगराकारगण के पक्ष में पारित किया गया था। इस संबंध में शासन के आदेश दिनांक 27.03.2002 के पालन में उपरोक्त ग्रामों में कुल चरनोई भूमि का 2 प्रतिशत सुरक्षित रखकर शेष भूमि निगराकारगण के पक्ष में बंटित कर दी गयी थी, जिसका उल्लेख कलेक्टर टीकमगढ़ के पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2695/2018/टीकमगढ़/भू0रा0

प्रीतम आदि विरूद्ध नत्थू आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र. क. 678/अ–19/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 08–08–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश को 10 वर्ष से अधिक विलम्ब से इस न्यायालय में चुनौती दी गई है, जो स्पष्टतः ही समयावधि बाह्य है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में अनुविभागीय अधिकारी एवं बंटन अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मोहनगढ़ को सूक्ष्म जांच के निर्देश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (3) (आर0के0 जैन) सदस्य 11/3/19	